न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू जिला जयपुर

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 07/2024 जीसीएमएस नम्बर 2024/17

1. विक्रम सिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति दरोगा निवासी मरवा, तहसील दूदू, जयपुर।
2. नरेन्द्र सिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति दरोगा निवासी मरवा, तहसील दूदू, जयपुर।

(अपीलार्थीगण)

बनाम

1. तहसीलदार तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0
2. उपतहसीलदार उपतहसील साखून, तहसील दूदू, जयपुर ।

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू– राजस्व अधिनियिम निर्णय दिनांक 29.02.2024 प्रकरण 59/2024 सरकार बनाम विक्रमसिंह वगै0 उपतहसीलदार साखून द्वारा बेदखली के आदेश व शास्ति अधिरोपित के विरूद्ध

उपस्थित :–

1. श्री भैरूलाल शर्मा विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की और से।
2. पैरोकार सरकार ।

अति0 जिला कलक्टर, दूदू (राज0)

निर्णय **दिनांक :– 08.04.2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपतहसीलदार उपतहसील साखून के समक्ष पटवार हल्का मरवा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि संवत् 2080 में ख0नं0 508 कुल रकबा 0.20 है0गै0मु0 सडक में से रकबा 0.01 है0 पक्का निर्माण दुकान पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। चूंकि अपीलान्ट के पिता सुमेरसिंह के जीवनकाल में ही अर्थात 70 वर्षों से साबिक ख0नं0 425 के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर खाम दुकान बनाकर जीविकोपार्जन करते रहे है। जिसपर 1990 में खाम दुकान की जगह पुख्ता दुकान बनाकर विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर वर्ष 2019 तक सुमेरसिंहजी द्वारा दुकान का संचालन कर उपयोग उपभोग किया गया तथा तत्पश्चात अपीलान्ट की माता पुष्पा देवी द्वारा उक्त दुकान का संचालन किया जा रहा है। अपीलान्ट का न कब्जा है न ही अपीलान्ट उक्त दुकान का संचालत करते है। तत्पश्चात् अवैध नोटिस जारी किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। मौके पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

अपीलान्ट की माता द्वारा पुख्ता दुकान कदीमी रही है। जिसका नियमानुरूप नियमन किया जाने का प्रावधान कानून सम्मत् है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी अपीलान्ट के द्वारा उक्त दुकान सडक के लगवा बुजुर्गान के समय से कदीमी बनी होन, दुकान पर राज्य सरकार द्वारा रेगुलाईजेशन किया जाकर नियमन कियाजा जाने का अनुतोष चाहा था। तत्पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालयय ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लघंन कर नियमन कार्यवाही संपादित नहीं की जबकी निरन्तर विगत 50 वर्षों से एडवर्स पजेशन होने से अपीलान्ट की माता के हक में या अपीलान्ट के हम में नियमानुरूप रेगुलाईजेशन नियमन कार्यवाही ही संपादित की जानी चाहिये थी। अपीलान्ट को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी किया गया है। जो प्रारम्भतः ही विधि विरूद्ध, अवैधानिम एवं आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है। चूंकि धारा 91 का नोटिस कृषि भूमि में अतिचार करने के संदर्भ में ही दिये जाने का प्रावधान है, जबकि धारा 90 ए कृषि भूमि का अकृषि योग्य उपयोग उपभोग करने पर दिये जाने का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में मौके पर पुख्ता दुकान 1990 से बनी हुयी है तथा इससे पूर्व खाम दुकान विगत 50 वर्षो से बनी हुयी थी। इसलिये कानूनन अतिकृमियों बाबत दिया गया विधिक सूचना नोटिस प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजनेतिक दबाव में आकर आनन फानन में बिना साक्ष्य सबूत प्राप्त किये, बिना प्रोपर सुनवायी का अवसर दियं मनमर्जी से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के विपरित 0.01 है. में बेदखली के आदेश किये गये है जबकि मौके पर 10 फीट गुणा 15 अर्थात 150 वर्गफीट 16.66 वर्गगज भूखण्ड पर निर्माण किया गया है। इसलिये बिना रिकार्ड बिना वास्तविक जारकारी किये पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.02.2024 को निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलवी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट से मूल पत्रावली तलब की गई।

अपील पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से काबिले निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के पिता सुमेरसिंह के जीवनकाल में ही अर्थात 70 वर्षों से साबिक ख0नं0 425 के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर खाम दुकान बनाकर जीविकोपार्जन करते रहे है। जिसपर 1990 में खाम दुकान की जगह पुख्ता दुकान बनाकर विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर वर्ष 2019 तक सुमेरसिंह जी द्वारा दुकान का संचालन कर उपयोग उपभोग किया गया तथा तत्पश्चात अपीलान्ट की माता पुष्पा देवी द्वारा उक्त दुकान का संचालन किया जा रहा है। जिसका नियमानुरूप नियमन किया जाने का प्रावधान कानून सम्मत् है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी अपीलान्ट के द्वारा उक्त दुकान सडक के लगवा बुजुर्गान के समय से कदीमी बनी होने से दुकान पर राज्य सरकार द्वारा रेगुलाईजेशन किया जाकर नियमन किया जाने का अनुतोष चाहा था। तत्पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालयय ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लघंन कर नियमन कार्यवाही संपादित नहीं की जबकी निरन्तर विगत 50 वर्षों से एडवर्स पजेशन होने से अपीलान्ट की माता के हक में या अपीलान्ट के हक में नियमानुरूप रेगुलाईजेशन नियमन कार्यवाही ही संपादित की जानी चाहिये थी। अपीलान्ट को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी किया गया है। जो प्रारम्भतः ही विधि विरूद्ध, अवैधानिक एवं आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है। चूंकि धारा 91 का नोटिस कृषि भूमि में अतिचार करने के संदर्भ में ही दिये जाने का प्रावधान है, जबकि धारा 90 ए कृषि भूमि का अकृषि योग्य उपयोग उपभोग करने पर दिये जाने का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में मौके पर पुख्ता दुकान 1990 से बनी हुयी है तथा इससे पूर्व खाम दुकान विगत 50

वर्षो से बनी हुयी थी। इसलिये कानूनन अतिकृमियों बाबत दिया गया विधिक सूचना नोटिस प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजनेतिक दबाव में आकर आनन फानन में बिना साक्ष्य सबूत प्राप्त किये, बिना प्रोपर सुनवायी का अवसार दिय मनमर्जी से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के विपरित 0.01 है. में बेदखली के आदेश किये गये है जबकि मौके पर 10 फीट गुणा 15 अर्थात 150 वर्गफीट 16.66 वर्गगज भूखण्ड पर निर्माण किया गया है। इसलिये बिना रिकार्ड बिना वास्तविक जारकारी किये पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.02.2024 को निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य व रिपोर्ट प0ह0 के ख0नं0 508 रकबा 0.20 हैक्टेयर गै0मु0 सडक में से 0.01 में बनी पक्की दुकान स्थित है जिसको मौके से बेदखल किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फमरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार साखून ने वाके ग्राम मरवा, तहसील दूदू में स्थित भूमि ख0नं0 508 रकबा 0.20 हैक्टेयर गैर मुमकिन सडक में से 0.01 में बनी पक्की दुकान स्थित होने से: अतिक्रमी को मौके से बेदखल किया गया है। उपतहसीलदार साखून के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परीपेक्ष्य में अपील अपीलार्थीगण साबित नही होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार साखून के आदेश दिनांक 29.02.2024 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति. जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner